REDTAPE
रेडटेप लिमिटेड

CIN: L74101UP2021PLC156659
पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर 08 सेक्टर 90, नोएडा 201301, उत्तर प्रदेश
टेलीफोन: +91 120 6994444 | +91 120 6994400
वेबसाइट: www.redtape.com ई-मेल: compliance@redtapeindia.com
30 सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अनेलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण
(लाख रुपए में, प्रति शेयर छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन					
		समाप्त तिमाही			समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष
		30.09.2024 (अनेलेखापरीक्षित)	30.06.2024 (अनेलेखापरीक्षित)	30.09.2023 (अनेलेखापरीक्षित)	30.09.2024 (अनेलेखापरीक्षित)	30.09.2023 (अनेलेखापरीक्षित)	31.03.2024 (लेखापरीक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	41014	44298	32270	85312	71754	184454
2.	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	3559	4136	3294	7695	9549	22728
3.	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	3559	4136	3294	7695	9549	22728
4.	कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	2588	3351	2564	5619	7115	16983
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) हेतु लाभ/हानि से निर्मित]	2622	3380	2078	5669	7417	16947
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी (शेयर का अंकित मूल्य: रु.2/- प्रत्येक)	2784	2784	2794	2784	2784	2784
7.	आरक्षिति (पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति को छोड़कर) जैसा कि गत वर्ष के तुलनपत्र में प्रदर्शित है।	-	-	-	-	-	63076
8.	आय प्रति शेयर (2/- रुपये प्रत्येक के) (सतत और असतत परिचालन के लिए)						
	(क) बेसिक:	1.86	2.21	1.66	4.07	5.15	12.26
	(ख) डाइल्यूटेड	1.86	2.21	1.66	4.07	5.15	12.26

क्र. सं.	विवरण	समेकित					
		समाप्त तिमाही			समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष
		30.09.2024 (अनेलेखापरीक्षित)	30.06.2024 (अनेलेखापरीक्षित)	30.09.2023 (अनेलेखापरीक्षित)	30.09.2024 (अनेलेखापरीक्षित)	30.09.2023 (अनेलेखापरीक्षित)	31.03.2024 (लेखापरीक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	41918	44424	32711	86342	72295	185937
2.	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	3492	4155	3500	7647	9997	23624
3.	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	3492	4155	3500	7647	9997	23624
4.	कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	2537	3364	2774	5571	7447	17624
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) हेतु लाभ/हानि से निर्मित]	2534	3380	2088	5614	7749	17604
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी (शेयर का अंकित मूल्य: रु.2/- प्रत्येक)	2784	2784	2794	2784	2784	2784
7.	आरक्षिति (पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति को छोड़कर) जैसा कि गत वर्ष के तुलनपत्र में प्रदर्शित है।	-	-	-	-	-	62076
8.	आय प्रति शेयर (2/- रुपये प्रत्येक के) (सतत और असतत परिचालन के लिए)						
	(क) बेसिक:	1.81	2.22	2.01	4.03	5.39	12.75
	(ख) डाइल्यूटेड	1.81	2.22	2.01	4.03	5.39	12.75

* समाप्त तिमाही अवधियों के लिए ईपीएस वार्षिकीकृत नहीं

टिप्पणियाँ:
1. उपरोक्त स्टैण्डएलोन और समेकित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और निदेशक मंडल को अनुशंसित किया गया है और तत्पश्चात 13 नवंबर 2024 को आयोजित उनकी बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। इन परिणामों की सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा की गई है जिन्होंने इन परिणामों पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त की है।
2. ये वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित निर्धारित भारतीय लेखा मानकों ('इंड-एएस'), इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुपालन में तैयार किए गए हैं।
3. कंपनी का मुख्य व्यवसाय माल की खुदरा बिक्री/व्यापार है जिसमें मुख्य रूप से परिधान और जूते शामिल हैं। कंपनी की अन्य सभी परिचालन गतिविधियां इसके मुख्य व्यवसाय के लिए आकस्मिक हैं। तदनुसार, कंपनी के पास इंड एएस 108 'ऑपरेटिंग सेगमेंट' के तहत रिपोर्ट करने योग्य केवल एक पहचान योग्य सेगमेंट है। मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता संसाधन आवंटन और प्रदर्शन मूल्यांकन के बारे में निर्णय लेने के उद्देश्य से इकाई के व्यवसाय के परिचालन परिणामों की निगरानी करता है।
4. पिछली अवधि/तिमाही के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

निदेशक मंडल की ओर से तथा उनके लिए
रेडटेप लिमिटेड
हस्ता./-
शुजा मिर्जा
प्रबंध निदेशक, डीआईएन: 01453110

स्थान : नोएडा, उत्तर प्रदेश
दिनांक : 13.11.2024

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आस्ति वसूली शाखा, पता एम-35, आउटर सर्कल, पहली मंजिल, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली- 110001
मेल आईडी: UBIN0554723@unionbankofindia.bank

दिनांक: 26.09.2024 स्थान: नई दिल्ली

धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

कर्जदार
उधारकर्ता: – मेसर्स एसपीएल मार्केटिंग प्रा. लि., ए–425, डबल स्टोरी, कालकाजी, नई दिल्ली–110020 इसके अलावारू ए–4/237 कोणार्क अपार्टमेंट, कालाकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110019
निदेशक/गारंटर
1. श्री सतपाल कालरा पुत्र आर.डी. कालरा, ए–425, डबल स्टोरी, कालकाजी, नई दिल्ली–110020 और: ए–4/237 कोणार्क अपार्टमेंट, कालाकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110019 और: आरजेड–600ए, गली नं. 21, खसरा नं. 443 और 444 से बाहर, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली– 110069
2. श्री वरुण कालरा पुत्र सतपाल कालरा, ए–425, डबल स्टोरी, कालकाजी, नई दिल्ली–110020 और: ए–4/237 कोणार्क अपार्टमेंट, कालाकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली– 110019 और: आरजेड–600ए, गली नं. 21, खसरा नं. 443 और 444 में से, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली– 110069
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(3) के तहत सूचना

आप, ने हमारी एसएसआई ओखला शाखा, बी–231, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, ओखला, दिल्ली–110020 से निम्नलिखित क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया है और बकाया/किस्त/ब्याज का भुगतान करने/खातों को संतोषजनक ढंग से संचालित करने में विफल रहे हैं और इसलिए, आय मान्यता और विवेकपूर्ण लेखांकन मानदंडों के रूप में आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, आपके खाते को 31.03.2022 तक गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपके खातों में **रु. 1,43,23,923.23 (रु. एक करोड़ तैंतालीस लाख तेईस हजार नौ सौ तेईस और पैसे तेईस मात्र) दिनांक 31.08.2024 तक** की राशि बकाया है।

उपर्युक्त खाते/खातों के संबंध में आप में से नंबर 1 से बैंक को देय राशि का विवरण निम्नानुसार है:

सुविधा का प्रकार	बकाया राशि 31–08–2024 तक	बैंक द्वारा उपगत लागत/प्रभार	कुल बकाया राशि
Cash Credit	1,07,79,572.71	66,213.00	1,08,45,785.71
Term Loan	18,52,148.00	329.80	18,52,477.80
Term Loan	16,25,659.72	0.00	16,25,659.72
कुल देय:-			**1,43,23,923.23**

बैंक को देय धनराशि या देय होने वाली धनराशि के पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के लिए, मेसर्स एसपीएल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने 02.07.2020 को दस्तावेजों को निष्पादित किया था और इस प्रकार सुरक्षा हित बनाया है:

यहां नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति का बंधक:

भूमि और भवन जिसमें भूतल और तीन मंजिलें शामिल, संख्या आरजेड–600–ए, गली नं. 21, खसरा नंबर 443 और 444 में से, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली– 110069, जिसका प्लॉट एरिया 91.67 वर्ग मीटर है, सतपाल कालरा के नाम पर है, उक्त संपत्ति की चौहद्दी: पूरब में – आरजेड–600–बी, पश्चिम में – सड़क और प्रवेश द्वार, उत्तर में – सड़क, दक्षिण में – आरजेड 600/21

अतएव, एतद्द्वारा आपसे वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के निबंधनों में **रु. 1,43,23,923.23 (रु. एक करोड़ तैंतालीस लाख तेईस हजार नौ सौ तेईस और पैसे तेईस मात्र) दिनांक 31.08.2024 तक** की राशि आपके द्वारा निष्पादित ऋण दस्तावेजों के नियम एवं शर्तों के अनुसार संविदात्मक दर पर आगे ब्याज तथा प्रभारों के साथ, इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाकर अपनी पूर्ण देयताओं का निर्वहन करने की मांग की जाती है, जिसमें असफल रहने पर हम उक्त अधिनियम के तहत किसी भी या सभी अधिकारों के प्रयोग द्वारा उपरोक्त प्रतिभूतियों का प्रवर्तन करने हेतु बाध्य होंगे।

उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप यह सूचना प्राप्त होने पर बैंक की सहमति के बिना, उपरोक्त प्रतिभूतयों का निपटान अथवा संव्यवहार नहीं कर सकते हैं।

आप का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

सरफासी की धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक 05.07.2022 का पिछला नोटिस वापस लिया जाता है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
प्राधिकृत अधिकारी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आस्ति वसूली शाखा, पता एम-35, आउटर सर्कल, पहली मंजिल, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली- 110001
मेल आईडी: UBIN0554723@unionbankofindia.bank

दिनांक: 07.10.2024 स्थान: नई दिल्ली

धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

कर्जदार
1(ए) मेसर्स एस ए अपैरल्स एक्सपोर्ट्स, पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय: सी–172, सेक्टर–63, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश – 201301
प्रोपराईटर/गारंटर
2(ए) श्रीमती संगीता शर्मा पत्नी श्री आनंद शर्मा, डी–720, सरस्वती विहार, दिल्ली– 110034
2(बी) श्री आनंद शर्मा, डी–720, सरस्वती विहार, दिल्ली– 110034
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(3) के तहत सूचना

आप, पता नं. 1 ने हमारी ओवरसीज शाखा 26/28–डी, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली– 110001 से निम्नलिखित क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया है और बकाया/किस्त/ब्याज का भुगतान करने/खातों को संतोषजनक ढंग से संचालित करने में विफल रहे हैं और इसलिए, आय मान्यता और विवेकपूर्ण लेखांकन मानदंडों के रूप में आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, आपके खाते को **28.02.2017** तक गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपके खातों में **रु. 5,37,05,271.70 (रु. पाँच करोड़ सैंतीस लाख पाँच हजार दो सौ इकहत्तर और पैसे सत्तर मात्र) दिनांक 30.09.2024 तक** की राशि बकाया है।

उपर्युक्त खाते/खातों के संबंध में आप में से नंबर 1 से बैंक को देय राशि का विवरण निम्नानुसार है:

सुविधा का प्रकार	बकाया राशि 30–09–2024 तक	बैंक द्वारा उपगत लागत/प्रभार	कुल बकाया राशि
Packing Credit	4,62,53,273.65	5,900.00	4,62,59,173.65
Term Loan	44,28,954.59	2,03,928.00	46,32,882.59
Current Account	26,68,364.46	1,44,851.00	28,13,215.46
कुल देय-			**5,37,05,271.70**

बैंक को देय धनराशि या देय होने वाली धनराशि के पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के लिए, सुश्री संगीता शर्मा ने 09.10.2015 को दस्तावेजों को निष्पादित किया था और इस प्रकार सुरक्षा हित बनाया है:

यहां नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति का बंधक:

अचल औद्योगिक संपत्ति जिसमें ढाई मंजिला इमारत और बेसमेंट है, औद्योगिक संपत्ति सं. 172 पर निर्मित है, जो कि ब्लॉक–सी सेक्टर–63, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है, जिसका नाम श्रीमती संगीत शर्मा है, उक्त संपत्ति की चौहद्दी: पूरब में – प्लॉट सं. सी–173, पश्चिम में – प्लॉट सं. सी–171, उत्तर में – अन्य की संपत्ति, दक्षिण में – प्रवेश द्वार

अतएव, एतद्द्वारा आपसे वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के निबंधनों में **रु. 5,37,05,271.70 (रु. पाँच करोड़ सैंतीस लाख पाँच हजार दो सौ इकहत्तर और पैसे सत्तर मात्र) दिनांक 30.09.2024 तक** की राशि आपके द्वारा निष्पादित ऋण दस्तावेजों के नियम एवं शर्तों के अनुसार संविदात्मक दर पर आगे ब्याज तथा प्रभारों के साथ, इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाकर अपनी पूर्ण देयताओं का निर्वहन करने की मांग की जाती है, जिसमें असफल रहने पर हम उक्त अधिनियम के तहत किसी भी या सभी अधिकारों के प्रयोग द्वारा उपरोक्त प्रतिभूतियों का प्रवर्तन करने हेतु बाध्य होंगे।

उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप यह सूचना प्राप्त होने पर बैंक की सहमति के बिना, उपरोक्त प्रतिभूतयों का निपटान अथवा संव्यवहार नहीं कर सकते हैं।

आप का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
प्राधिकृत अधिकारी

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

YES BANK

यस बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: यस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सैंटाक्रूज (पूर्व), मुंबई- 400055 वेबसाईट: www.yesbank.in

सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत नोटिस का प्रकाशन

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता जिन्होंने बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा के मूलधन और ब्याज की अदायगी में चूक की है और जिनके ऋण खातों को गैर–निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत उनके अंतिम ज्ञात पतों पर नोटिस जारी किए गए थे लेकिन उन्हें बिना सेवा दिए वापस कर दिया गया है और उन्हें इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है।

क्र सं	खाता सं	ऋण का प्रकार	उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता, बंधककर्ता का नाम	13(2) के अनुसार बकाया	एनपीए की तिथि	नोटिस की तिथि
1.	ओवरड्राफ्ट सुविधा खाते नंबर 006663703001232 के तहत	ओवरड्राफ्ट	1. **मेसर्स आकाश इंडिया** (उधारकर्ता) अपने प्रोपराइटर के माध्यम से पता – 01 तुर्कमान गेट बाई–पास अलीगढ़–202001 यू.पी. 2. **विकास गुप्ता (गारंटर)** अपने प्रोपराइटर के माध्यम से पता – 10/39, दिल्ली गेट खैर रोड गुप्ता गंज अलीगढ़ – 202001। 3. **श्रीमती पवन रानी (बंधक/गारंटर)** पत्नी स्वर्गीय राजेंद्र कुमार पता दिल्ली गेट खैर रोड गुप्ता गंज अलीगढ़ – 2020014। **श्री आकाश गुप्ता (गारंटर)** पता– 10139, दिल्ली गेट खैर रोड गुप्ता गंज अलीगढ़ – 202001।	17.09.2024 तक रु. 1,22,86,434/- (रु. एक करोड़ बाईस लाख छियासी हजार चार सौ चौंतीस मात्र)	31/08/2024	23/10/2024

सुरक्षित संपत्ति का विवरण: संपत्ति का क्षेत्रफल 236.45 वर्ग मीटर, दिल्ली दरवाजा अलीगढ़ में स्थित। सीमा पूर्व– कल्याण और कैलाश चंद्र का प्लॉट, पश्चिम– विजय कुमार अग्रवाल का मकान, उत्तर– राजेंद्र कुमार का प्लॉट, दक्षिण– 12 फीट रोड।

उपरोक्त उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता (जहां भी लागू हो) को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उक्त 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

यह आपके ध्यान में लाने के लिए है कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के तहत, जहां सुरक्षित लेनदार की बकाया राशि के साथ–साथ सुरक्षित लेनदार द्वारा उठाए गए सभी लागत, शुल्क और खर्च सार्वजनिक नीलामी/निविदा/निजी संधि के लिए नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पहले किसी भी समय सुरक्षित लेनदार को सौंप दिए जाते हैं, सुरक्षित परिसंपत्ति को बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जाएगा और उस सुरक्षित परिसंपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

दिनांक: 12.11.2024
स्थान: अलीगढ़

हस्ता/- अधिकृत अधिकारी
कृते यस बैंक लिमिटेड

---

pnb punjab national bank — **पंजाब नैशनल बैंक** — **कब्जा सूचना**

मंडल कार्यालय–1–2, रघुनाथनगर, द्वितीय तल, महात्मा गाँधी मार्ग, आगरा

चल/अचल सम्पत्ति का कब्जा सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के अन्तर्गत)

जबकि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या–54 का 2002) के अन्तर्गत पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा–13(12) के साथ नियम–3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाते के सामने उल्लिखित तारीख को माँग नोटिस जारी किया और यहाँ नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/जमानतकर्ता/बंधककर्ता/कानूनी वारिसों को नोटिस में वर्णित राशि को उक्त राशि पर संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के साथ उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 (साठ) दिनों के अन्दर चुकाने का आवाह्न किया था। उधारकर्ता/जमानतकर्ता/बंधककर्ता द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण उधारकर्ता/जमानतकर्ता/बंधककर्ता/कानूनी वारिस को और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा–13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित तिथि को उक्त नियमों के नियम–8 के साथ पठित, नीचे वर्णित सम्पत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता/जमानतकर्ता/बंधककर्ता/ कानूनी वारिस का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्ति की मुक्त कराने में उपलब्ध समय के सम्बंध में अधिनियम की धारा–13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है। एतद्द्वारा उधारकर्ता/जमानतकर्ता/बंधककर्ता/कानूनी वारिस और आम जनता को विशेष रूप से सम्पत्ति से लेन–देन के लिए चेतावनी दी जाती है। सम्पत्ति से जुड़ा कोई भी व्यवहार पंजाब नेशनल बैंक द्वारा उस पर दी गई राशि और ब्याज के प्रभार के अधीन होगा। बंधक सम्पत्ति का विवरण, जिनका कब्जा लिया गया है, नीचे वर्णित है।

उधारकर्ता/जमानतकर्ता/बंधककर्ता/कानूनी वारिस का ध्यान, एक्ट के सेक्शन–13 के सब सेक्शन (8) की ओर आकर्षित किया जाता है, कि वे उपलब्ध समय में बैंक के देयों को चुकता कर बंधक सम्पत्ति को वापिस छुड़ा लें।

ऋणी/बंधककर्ता के नाम व शाखा का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	माँग सूचना तिथि	कब्जा दिनांक	माँग सूचना के अनुसार बकाया धनराशि
ऋणी/गारन्टर/बंधककर्ता– श्री नसीम अख्तर पुत्र श्री शफीक, श्री जावेद अख्तर पुत्र श्री शफीक, सतीश चन्द सैनी पुत्र श्री टेकचन्द **शाखा– बल्केश्वर, आगरा**	साम्यिक बंधक आवासीय मकान पुराना मकान नम्बर–130 और नया नगर निगम नम्बर–37/126 सैयद पाड़ा, हवेली आलम खी वार्ड, लोहामंडी तहसील और जिला आगरा–283111 उ0प्र0 क्षेत्रफल–213.08 वर्गमीटर (कारपेट एरिया–600 वर्ग फीट)। सम्पत्ति स्वामी श्री नसीम अख्तर पुत्र श्री शफीक, श्री जावेद अख्तर पुत्र श्री शफीक, चौहद्दी: पूर्व–सेखावत का मकान पश्चिम– रास्ता और निकास 20 फुट चौड़ा, उत्तर–शेखावत हुसैन का मकान, दक्षिण– रास्ता और निकास 9 मीटर चौड़ा।	29.08.2024	08.11.2024	**रु. 31,39,955.25/-** (इकतीस लाख उनतालीस हजार नौ सौ पचपन रुपये और पच्चीस पैसे मात्र) दिनांक 31.07.2024 तक + ब्याज व अन्य भविष्य के देय खर्चे।

स्थान–आगरा, दिनांक:– 08.11.2024 — प्राधिकृत अधिकारी

केनरा बैंक Canara Bank

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तरी दिल्ली, डीपी 10–11, द्वितीय तल स्थानीय शॉपिंग सेंटर, विपक्ष. मौर्य एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली, 110034

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभूतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत सूचना जारी की जाती है।

केनरा बैंक, से प्राप्त किये गये ऋण जो कि एन पी ए हो चुके हैं व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्नवर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्नवर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभुतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांकों को पंजीकृत डाक पावती सहित /स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा आप सभी को भेजी गयी थी, जिसकी पावती प्राप्त नही हुई/जो बिना तामील वापस प्राप्त हो गयी है। मांग सूचना निम्नांकित दिनांकों में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया था, कि आपके द्वारा सूचना में दर्शायी राशी 60 दिनों के अन्दर जमा नही करायी गयी तो बैंक/सिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर बताए गए आपके दायित्व का निर्वहन न करने की स्थिति में सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत दिए गए किसी भी अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	कर्जदार/गारन्टर के नाम एनपीए की तारीख	माँग सूचना की तारीख / बकाया राशि	सिक्योर्ड आस्तियों का विवरण (अनुसूची बी)
1	**हैदरपुर शाखा** **मेसर्स आरपीएम इंडस्ट्रीज, 457/1, गली नं. 2, न्यू सेवा नगर, नंदग्राम रोड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201001** **श्री अरुण कुमार झा (उधारकर्ता), मकान नं. 184 फ्लैट नंबर एस आई सेक्टर 6, वैशाली गाजियाबाद, उप्र–201012** **श्री अरुण कुमार झा (उधारकर्ता), डी नं. 838 खसरा नं. 457/1, गली नं. 2, न्यू सेवा नगर, नंद ग्राम रोड, गांव घूकना, गाजियाबाद, उप्र–201001** **श्रीमती सुनीता देवी (गारंटर), मकान नं. 184 फ्लैट नं. एस आई सेक्टर 6, वैशाली गाजियाबाद, उप्र–201012** **ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि 27-10-2024**	**28.10.2024** रु. 21,91,925.27 और भविष्य का ब्याज एवं आकस्मिक खर्चे एवं लागत इत्यादि	**चल** मेसर्स आर पी एम इंडस्ट्रीज के नाम पर स्टॉक और बुक ऋण **अचल संपत्ति** **1. साम्यिक बंधक सम्पत्ति डी नं. 838, खसरा नं. 457/1, गली नं. 2, न्यू सेवा नगर, नंदग्राम रोड, गांव घूकना, गाजियाबाद, यू.पी. प्लॉट एरिया 55.27 वर्ग मी., यह सम्पत्ति अरुण कुमार झा, सुनीता देवी के नाम पर है। पूरब में – बलबीर सिंह की भूतल, पश्चिम में – सड़क 12 फीट, उत्तर में – तेजपाल सैनी का प्लॉट, दक्षिण में – दीगर मलिक का प्लॉट**

उक्त वर्णित उधारकर्ता/ गारंटरों को सलाह है कि (1) अधिक एवं विस्तृत जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी से मूल नोटिस प्राप्त कर लें (2) मांग सूचना में दर्शायी गयी बकाया राशि ब्याज एवं खर्चे आदि सहित मांग सूचना की दिनांक के 60 दिनों के भीतर जमा करें ताकि सरफेसी अधिनियम के तहत अग्रिम कार्यवाही से बच सकें।

दिनांक : 13.11.2024, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8-(1)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (आईआईएफएल–एचएफएल) का प्राधिकृत अधिकारी के रूप में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ताओं को राशि चुकाने के लिए एक डिमांड नोटिस जारी किया गया था, उधारकर्ता और आम जनता को यह बताया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन आईआईएफएल एचएफएल के शुल्क के अधीन होगा, जैसा कि नीचे उल्लिखित राशि के लिए ब्याज सहित होगा। "उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, यदि उधारकर्ता निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ "आईआईएफएल एचएफएल" का बकाया चुका देता है। बिक्री या हस्तांतरण, सुरक्षित संपत्तियों को "आईआईएफएल एचएफएल" द्वारा बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जाएगा और सुरक्षित परिसंपत्तियों के हस्तांतरण या बिक्री के लिए "आईआईएफएल एचएफएल" द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ता(ओं)/ का नाम	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	कुल बकाया देय (रु.)	माँग सूचना की तारीख	कब्जा की तिथि
श्री शिव शर्मा, श्रीमती सुनीता शर्मा, (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10246590)	निर्मित ऊपरी भूतल का वह पूरा टुकड़ा, सामने दाएँ हाथ का, बिना छत/टेरेस अधिकारों के, निर्मित संपत्ति संख्या 57 और 57। खसरा संख्या 665 में से, दिल्ली राज्य दिल्ली आबादी जिसे लाल डोरा के नाम से जाना जाता है, 1908–09 में गांव नवादा, उत्तम नगर नई दिल्ली, 110059 में स्थित है। क्षेत्रफल माप (वर्ग फीट में): संपत्ति का प्रकारः बिक्री योग्य क्षेत्र, कारपेट क्षेत्र, संपत्ति क्षेत्रः 675.00, 573.00।	रु.2564847/– (रुपये पच्चीस लाख चौसठ चार हजार आठ सौ सैंतालीस मात्र)	17– अगस्त 2024	08– नवंबर– 2024
श्री सीनिवासन प्रकाश, श्रीमती लक्ष्मीप्रिया पी, (प्रॉस्पेक्ट नंबर आईएल10083343)	प्ल